फर्द अहकाम

मन्दिर श्री सीताराम जी बनाम अंकित व अन्य

प्रार्थना पत्र: 112/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13.05.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 23/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)	नोटिस जारी 1342-1358 / 19/5/25
	23/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय में वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगाई गई। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	